

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2023 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 24.02.2023

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	10ए/2018	श्रीमती उषा कपूर सतरांगी संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर	30.04.2028	II/2, गांधीनगर
2.	13/2018	डॉ. विजयलक्ष्मी नांगालिया सहायक आचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.10.2044	II/14, गांधीनगर
3.	19/2018	डॉ. जयन्ती माला, सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.03.2039	एम-5, गांधीनगर
4.	20/2018	डॉ. ओमप्रकाश, कनिष्ठ विशेषज्ञ, जयपुरिया अस्पताल, जयपुर	31.01.2038	1/8, हीराबाग
5.	31/2018	श्रीमती मनीता राठौड़ उप निदेशक राज्य बीमा एवं सामान्य प्राक्घायी निधि, जयपुर	28.02.2037	3/3, हीराबाग
6.	33/2018	डॉ. कुलदीप पूनिया कनिष्ठ विशेषज्ञ सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	28.02.2042	II/15, गांधीनगर
7.	34/2018	श्रीमती पूनम चौधरी मुख्य लेखा अधिकारी, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2039	II/19, गांधीनगर
8.	36/2018	डॉ. बदी राम रेजीडेंट चिकित्सक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.06.2039	5/6, हीराबाग
9.	39/2018	श्री अर्जुन राम मेघवाल व्याख्याता राजकीय राम चन्द्र खेतान पोलिटैक्निक महाविद्यालय, जयपुर	31.05.2040	II/24, गांधीनगर
10.	40/2018	डॉ. लोविना मित्तल व्याख्याता राजकीय महिला पोलिटैक्निक महाविद्यालय, जयपुर	31.05.2031	II/32, गांधीनगर
11.	41/2018	श्रीमती कल्पना जोशी व्याख्याता राजकीय महिला पोलिटैक्निक महाविद्यालय, जयपुर	31.10.2024	II/38, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation : Joint Secretary
Date: 2023.02.24 16:19:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3238441



12.	09/2019	डॉ० रामस्वरूप सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर	31.07.2030	6/5, हीराबाग
13.	11/2019	डॉ० रेखा बागला सहायक आचार्य, बौध्दिकमेरूदी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.06.2039	II/42, गंधीनगर
14.	14/2019	डॉ० अशोक कुमार योगी आर.ए.एस., EXECUTIVE DIRECTOR, RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION, JAIPUR	31.07.2043	II/48, गंधीनगर
15.	18/2019	डॉ० मधुलता अग्रवाल सहायक आचार्य एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	31.12.2045	II/63, एवीएस गंधीनगर
16.	19/2019	डॉ० जगराम गीना सहायक आचार्य, सर्जरी एस.एम.एस. मेडीकल कॉलेज, जयपुर	31.05.2049	एन-9, गंधीनगर
17.	20/2019	डॉ० योगेन्द्र दाम्हीच सहायक आचार्य, सर्जरी एस.एम.एस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.04.2046	II/50 गंधीनगर
18.	29/2019	श्री महेश कुमार यादव सहायक आचार्य एस एम एस चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	30.09.2052	II/67, एवीएस गंधीनगर
19.	31/2019	श्री लल्लू राम मीना सहायक शासन सचिव. जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2034	एन-14, गंधीनगर
20.	2/2020	श्री लीलधर मुख्य लेखाधिकारी कृषि विपणन विभाग, जयपुर	30.06.2043	एन-18, गंधीनगर
21.	5/2020	डॉ० संजीव कुमार गुप्ता कनिष्ठ विशेषज्ञ सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.11.2035	एन-24, गंधीनगर
22.	6/2020	सुश्री दिवा मेहता सहायक आयुक्त कर (द्वितीय), मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	31.07.2038	II/66, एवीएस गंधीनगर
23.	7/2020	श्री विशाल राणावत निजी सचिव कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2035	एम-2, गंधीनगर
24.	8/2020	श्री नन्द किशोर शर्मा वरिष्ठ लेखाधिकारी वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2027	एम-8, गंधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation : Joint Secretary
Date: 2023.02.24 16:19:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3238441



शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
9. क्रम संख्या 15,18, एवं 22 पर अंकित आवंटि से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ० हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 3238441

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2023.02.24 16:19:09 IST
Reason: Approved



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
3. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4)/(क-4/2) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
9. अधीक्षक, जयपुरिया अस्पताल, सांगानेरी गेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. प्राचार्य/प्रधानाचार्य, राम चन्द्र खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. प्राचार्य/प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
13. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (युप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
16. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (युप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवावे।
21. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2023.02.24 16:19:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3238441

